न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 763–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–2–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शाजापुर, प्रकरण कमांक 49/निगरानी/2009–10

.....

अनारसिंह पिता श्री मोतीलाल परमान,
निवासी ग्राम हड़लायकला तहसील शुजालपुर
जिला शाजापुर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–हुकुमसिंह पिता शिवनारायण परमार
2–ज्ञानसिंह पिता शिवनारायण परमार
निवासीगण ग्राम हड़लायकला तहसील शुजालपुर
जिला शाजापुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक–आवेदक
श्री वीरेन्द्रसिंह सिसौदिया, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(**आज दिनांक** 17/8/16 **को पारित**)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत तहसीलदार टप्पा अकोदिया के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि ग्राम हड़लायकलॉ में स्थित है, और उसकी भूमि पर जाने हेतु रास्ता सर्वे कमांक 1037 दक्षिणी मेढ़ से होकर

अनावेदक कमांक 1 की भूमि सर्वे कमांक 1036 की पूर्वी मेढ़ से होकर आते–जाते थे, उक्त रास्ते को अनावेदकगण द्वारा बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 05/अ–19/2010–11 दर्ज कर दिनांक 9–5–2012 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ते खोले जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक दिनांक 24–2–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । व्यवहार न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुये उभयपक्ष को प्राकृतिक न्याय के अनुरूप सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देकर उनकी उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि का स्थल निरीक्षण संहिता के अधीन विधिनुसार आदेश पारित करें । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु आज दिनांक तक उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों व अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में अनावेदकगण द्वारा व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई थी, जिसे व्यवहार न्यायालय द्वारा

निरस्त कर दिया गया था एवं उसकी अपील भी निरस्त हो चुकी थी । उक्त स्थिति पर बिना विचार किये अपर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(3) व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी होता है तब व्यवहार न्यायालय द्वारा ही आवेदक को रास्ता दिये जाने के बारे में अनावेदक का वाद निरस्त किया था तो ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर को अंतरिम रास्ते का आदेश निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था ।

(4) वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये है कि स्थल निरीक्षण के आधार पर पारित अंतरिम आदेश में निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम आदेश पारित किया गया है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता उपलब्ध कराया गया है और तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । स्पष्ट है कि प्रकरण में अंतरिम रास्ते को लेकर ही विभिन्न निगरानियों के माध्यम से विलम्ब हो रहा है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार को निर्देश दिये जावे कि वह उभयपक्ष को सुनकर दो माह के अन्दर प्रकरण का अब अंतिम रूप से निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस निगरानी का निराकरण इन निर्देशों के साथ किया जा रहा है कि तहसीलदार दो माह में अंतिम रूप से रास्ते के विवाद का निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर